न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 153/17
(जीसीएमएस संख्या 2021/11)

निर्णय दिनांकः 20-12-23

1. सोहनलाल पुत्र बुगरराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम रामपुरिया हाल चक 9 एडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19—04—1989
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19—04—1989 जिसके द्वारा अपीलांट् को पूर्व में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ में चक 9 एडब्ल्यूएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 4/31 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 4/40 में 12 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु चक 9 एडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 4/40 की 12 बीघा भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित नहीं होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश चक 9 एडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 4/40 की 12 बीघा भूमि की हद तक निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–04–1989 के विरूद्व अपील दिनांक 16–12–20 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट् को आवंटित भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि नहीं होने के कारण उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–04–1989 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 16–12–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील छत्तरगढ़ के चक 9 एडब्ल्यूएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 4/31 में 25 बीघा एवं मुरब्बा नम्बर 4/40 में 12 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 37 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। परन्तु अपीलांट् को आवंटित भूमि में से चक 9 एडब्ल्यूएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 4/40 की 12 बीघा भूमि का अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि नहीं थी।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जहॉ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि अपीलांट् को आवंटित भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु गजट में प्रकाशित एवं विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है अथवा नहीं? अदालत माताहत का उक्त कृत्य लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्व रूप से विशेष श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित एवं गजट में प्रकाशित भूमि नहीं होने के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है। अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट के आवंटन का अमल दरामद किया गया। अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—04—1999 के अनुसार वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु आरक्षित नहीं होना साबित है। अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो खारिज कर किया गया परन्तु उक्त आवंटित भूमि की एवज में अन्य भूमि प्रदान नहीं की गई। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो विशेष आवंटन हेतु आरक्षित नहीं होने के कारण अपीलांट विशेष श्रेणी की विवादरहित् भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—04—1989 चक 9 एडब्ल्यूएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 4/40 की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

12 बीघा भूमि की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए विशेष श्रेणी की विवादरहित भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

10. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर